

SBS GOVT. P.G. COLLEGE PIPARIYA



SSR DOCUMENT

2018-19 TO 2022-23

CRITERION - 6

Governance, Leadership and Management

Metrics No. 6.4.1

Document Title:
MP Store Purchase Rule

श्रमलभ्या सरस्वती

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code – 3203

AISHE Code – C-35178

Accredited by NAAC with B+ Grade

Email – hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112



कार्यालय प्राचार्य, शहीद भगत सिंह
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम् (म.प्र.)
NAAC द्वारा B+ ग्रेड में प्रमाणित
ईमेल: hegpgcpiphos@mp.gov.in
महाविद्यालय कोड: 3203
फोन/फैक्स: 07576-220112
वेबसाइट: www.gpgcpipariya.nic.in



OFFICE OF THE PRINCIPAL, SHAHEED BHAGAT SINGH
GOVERNMENT P. G. COLLEGE
PIPARIYA, DIST-NARMADAPURAM (M.P.)

Accredited by NAAC with B+ Grade
E-mail: hegpgcpiphos@mp.gov.in
COLLEGE CODE: 3203
PHONE /FAX: 07576-220112
Website: www.gpgcpipariya.nic.in

Ref No. 1440/Est/SBSGPGCP/2024

Pipariya, Date 19.06.2024

DECLARATION

This is to declare that the information, reports, true copies of supporting documents, numerical data etc. furnished in this file as supporting documents are verified by IQAC and found correct.


IQAC Coordinator
Coordinator (IQAC)
Internal Quality Assurance Cell
S. B. S. Govt. P. G. College
PIPARIYA (M. P.)


Principal
PRINCIPAL
Shaheed Bhagat Singh Govt. P.G. College
PIPARIYA (M. P.)



Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya
Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code – 3203

AISHE Code – C-35178

Accredited by NAAC with B+ Grade

Email – heggcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112



INDEX

S.No.	Title	Page No.
1	MP Store Purchase Rule	1-38

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: एफ 9-20/2021/अ-73

भोपाल, दिनांक 13/01/2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय: मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015
(यथा संशोधित-2022)

राज्य शासन एतद् द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग) के आदेश क्रमांक 11208-3209-ग्यारह-अ, दिनांक 26 अगस्त, 1974 से मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता जिल्द-2 के विद्यमान परिशिष्ट-5 में प्रतिस्थापित मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन संबंधी पूर्व में जारी समस्त आदेश, निर्देश/नियम निष्प्रभावी करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) तत्काल प्रभाव से जारी कर लागू करता है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी. नरहरि)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग



// 2 //

पृ. क्रमांक: एफ 9-20/2021/अ-73

भोपाल, दिनांक 13/01/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर, लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी, ग्वालियर।
3. माननीय राज्यपाल के सचिव, म.प्र. भोपाल।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग म.प्र. इन्दौर।
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, एमएसएमई, म.प्र. भोपाल।
7. उप सचिव, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अशेषित।
9. उप नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेख सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
10. प्रेस अधिकारी, जनसम्पर्क एवं प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।


सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग



परिशिष्ट

मध्य प्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015
(यथा संशोधित-2022)

भाग - 1 वस्तुओं का उपार्जन

1. प्रस्तावना (Introduction)

शासकीय क्रय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु "मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022)" लागू करता है।

2. प्रभावशीलता (Applicability)

ये नियम मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों, पंचायत एवं नगरीय निकायों, राज्य शासन की 50 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता वाले समस्त उपक्रमों, निगमों, मंडलों, विपणन संघ, सहकारी संस्थाओं, मंडी बोर्ड एवं कृषि उपज मंडी समितियों पर प्रभावशील होंगे। ये नियम राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु समय-समय पर विनिर्दिष्ट निकाय, संस्थान अथवा अभिकरण आदि पर भी लागू होंगे। यह नियम निम्नलिखित संस्थानों की उन गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे, जहां पर म.प्र. के हस्तशिल्पियों / कारीगरों द्वारा उत्पादित सामग्री का क्रय, विक्रय हेतु किया गया हो :-

क्र.	संस्था का नाम	गतिविधि
1.	संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	संचालित एम्पोरियमों के माध्यम से विक्रय हेतु सामग्री के क्रय के संबंध में
2.	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	संचालित एम्पोरियमों के माध्यम से विक्रय हेतु सामग्री के क्रय के संबंध में
3.	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	संचालित एम्पोरियमों के माध्यम से विक्रय हेतु सामग्री के क्रय के संबंध में



3. परिभाषाएँ (Definitions)

- 3.1 क्रयकर्ता (Indentor) से अभिप्रेत है क्रय आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी।
- 3.2 सामग्री (Goods) से अभिप्रेत है क्रयकर्ता द्वारा लोक दायित्व के निर्वहन में उपयोग हेतु क्रय की जाने वाली वस्तुयें लेकिन इसमें पुस्तकें, प्रकाशन, सामायिक पत्र-पत्रिकायें आदि शामिल नहीं हैं।
- 3.3 उपार्जनकर्ता अभिकरण से अभिप्रेत है क्रयकर्ता की मांग के परिप्रेक्ष्य में प्रदायकर्ता के माध्यम से सामग्री / सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा नियम 6 के तहत अधिकृत संस्था।
- 3.4 जेम (GeM) से अभिप्रेत है, भारत सरकार द्वारा स्थापित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-marketplace)
- 3.5 प्रदायकर्ता (Supplier) से अभिप्रेत है क्रयकर्ता को लोक सेवाओं के सम्बन्ध में उपयोग हेतु वस्तुयें / सेवायें प्रदान करने वाले निर्माता / सेवा प्रदाता / उद्यम / विभाग / संस्था / फर्म / प्रदेश में गठित स्व-सहायता समूह / व्यक्ति आदि।
- 3.6 निविदा प्रपत्र (Tender Document) से अभिप्रेत है ऐसे समस्त दस्तावेज जिनमें किसी सामग्री/सेवा की आवश्यकता, मात्रा, तकनीकी विवरण एवं विशिष्टियां, क्रय/उपार्जन हेतु निर्धारित मापदण्ड, अनुमानित मूल्य, प्रदाय स्थल, कार्य की सूची, कार्य का तिथिवार निर्धारण, कार्य सम्पादन की अंतिम तिथि, सुरक्षा निधि / गारंटी मनी भुगतान की शर्त आदि सहित क्रय हेतु आवश्यक अन्य सभी जानकारीयां समाहित हों तथा जिसका प्रकाशन निविदा दस्तावेज के रूप में किया गया है।
- 3.7 निविदा (Tender) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रण सूचना के प्रतिउत्तर में सामग्री / सेवायें प्रदान करने हेतु प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत औपचारिक प्रस्ताव।
- 3.8 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (Tender Inviting Authority) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी।
- 3.9 निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी (Tender Accepting Authority) से अभिप्रेत है निविदा स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी।



- 3.10 निविदाकर्ता (Tenderer) से अभिप्रेत है निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी ।
- 3.11 आरक्षित सामग्री (Reserved Item) से अभिप्रेत है समय-समय पर पुनरीक्षण के अधीन नियम 6 अनुसार इन नियमों के परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित वस्तुएँ ।
- 3.12 अनारक्षित सामग्री (Unreserved Item) से अभिप्रेत है आरक्षित सामग्री को छोड़कर अन्य सामग्री ।
- 3.13 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा-7 अंतर्गत परिभाषित प्रदेश में स्थापित उद्यम ।
- 3.14 मध्यप्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनका कार्य स्थल एवं पंजीकृत कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य में स्थित हों।
- 3.15 Quality and Cost Based Selection (QCBS) से अभिप्रेत है गुणवत्ता और लागत आधारित चयन की एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया जिसमें प्रस्ताव की गुणवत्ता और सेवाओं की लागत के दृष्टिगत सफल निविदाकर्ता का चयन ।
- 3.16 स्टार्टअप से अभिप्रेत है, वे स्टार्टअप जिनको भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्टार्टअप इण्डिया संस्था द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय म.प्र. राज्य में स्थित हो ।
- 3.17 स्थानीय सामग्री (Local content) से अभिप्रेत है भारत में किया गया मूल्य संवर्धन ।
- 3.18 प्रथम श्रेणी स्थानीय आपूर्तिकर्ता (Class-I Local Supplier) से अभिप्रेत है ऐसा प्रदायकर्ता/सेवा प्रदाता, जिनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवा / सामग्री में न्यूनतम 50 प्रतिशत या उससे अधिक का मूल्य संवर्धन देश में किया गया हो।
- 3.19 द्वितीय श्रेणी स्थानीय आपूर्तिकर्ता (Class-II Local Supplier) से अभिप्रेत है ऐसा प्रदायकर्ता / सेवा प्रदाता, जिनके द्वारा प्रदान की जा रही



- सेवा / सामग्री में न्यूनतम 20 प्रतिशत या उससे अधिक, परन्तु 50 प्रतिशत से कम का मूल्य संवर्धन देश में किया गया हो ।
- 3.20 क्रय प्राथमिकता का प्रतिशत (Margin of purchase preference) से अभिप्रेत है कि एल-1 दर से क्लॉस 1 स्थानीय प्रदायकर्ता द्वारा अधिक प्रस्तुत की गई दरों की अधिकतम सीमा ।
- 3.21 MP Tenders Portal से अभिप्रेत है म.प्र. शासन द्वारा निविदा आमंत्रण हेतु अधिकृत / संसूचित पोर्टल ।
- 3.22 PQR (Pre Qualification Requirement) से अभिप्रेत है निविदा हेतु निर्धारित पूर्व अर्हता ।

4. क्रय के मूल सिद्धांत :

लोक हित में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह क्रय से संबंधित प्रकरणों में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हुए समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ उचित और समान व्यवहार रखे ।

विभागों द्वारा GeM Portal अथवा MP tender Portal में से किसी भी पोर्टल पर निविदा आमंत्रित करने की दशा में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 (यथा संशोधित 2022) का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए । GeM Portal के माध्यम से खरीदी करने पर भी मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 (यथा संशोधित 2022) का पालन किया जाना बंधनकारी है ।

5. क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी :

क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार राज्य शासन द्वारा किए गए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अथवा सामान्य या विशिष्ट आदेश से अधिकृत अधिकारी को रहेंगे । निगमों, मण्डलों तथा अन्य अर्द्धशासकीय संस्थाओं अंतर्गत ये अधिकार उनके वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन से शासित होंगे ।

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya
Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code – 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code – C-35178



Email – heggpcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112

6. राज्य शासन के उपक्रमों से बिना निविदा आमंत्रित किये सेवाओं के उपार्जन का प्रावधान :
- (i) राज्य शासन कतिपय वस्तुओं को किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित कर सकेगा। परिशिष्ट-अ में वर्णित वस्तुओं का क्रय इन नियमों के परिशिष्टों में उल्लेखित उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) शासन के निम्न संस्थानों का उपयोग उनके समक्ष दर्शाई गई सेवाओं के उपार्जन के संबंध में किया जा सकेगा। सक्षम क्रयकर्ता अधिकारी इन संस्थानों को निम्नलिखित सेवाओं के उपार्जन हेतु बिना निविदा आमंत्रित किये सीधे आदेश दे सकेंगे अथवा इसका उपार्जन खुली निविदा के माध्यम से कर सकेंगे:-

क्र.	संस्था का नाम	सेवा
1.	म.प्र. माध्यम	प्रचार-प्रसार, प्रिंटिंग एवं ईवेंट मैनेजमेंट से संबंधित सेवा
2.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	केटरिंग एवं ईवेंट मैनेजमेंट से संबंधित सेवा
3.	म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम	शैक्षणिक पुस्तकें
4.	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (MPSEDC)	सॉफ्टवेयर विकास, सैटेलाइट ईमेज आदि के उपार्जन एवं विश्लेषण संबंधी कार्य तथा प्रशिक्षण संबंधी सेवाएं एवं ड्रोन से संबंधित सेवाएं
5.	उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. (CEDMAP)	प्रशिक्षण संबंधी सेवाएं एवं आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु
6.	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड	औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों के उपार्जन हेतु संपादित दर संविदा
7.	एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.	दुग्ध एवं दुग्ध संबंधी उत्पाद



7. अनारक्षित सामग्री का क्रय/उपार्जन :

अनारक्षित सामग्री का क्रय नियम 8, 9 एवं 10 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार क्रयकर्ता द्वारा किया जाएगा। ऐसी सामग्री की दरें जेम (GeM) में उपलब्ध होने की दशा में क्रयकर्ता द्वारा जेम (GeM) से सामग्री क्रय की जा सकेगी। चाहे गये स्पेसिफिकेशन उपलब्ध न होने पर भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के तहत क्रय किया जा सकेगा।

GeM पोर्टल से क्रय किये जाने की दशा में दरों की युक्तियुक्तता (Reasonability of rate) क्रयकर्ता द्वारा प्रमाणित की जाएगी। GeM पोर्टल से क्रय की स्थिति में क्रय की जाने वाली सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य रुपये 2.50 लाख (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) से अधिक होने पर GeM पोर्टल पर निविदा द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

8. रुपये 50,000/- तक की सामग्री का बिना कोटेशन के क्रय :

बिना कोटेशन के सामग्री के क्रय (Purchase of Goods without Quotation) के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र के आधार पर कोटेशन या निविदा आमंत्रित किये बगैर प्रत्येक अवसर पर रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) तक के मूल्य के अनारक्षित सामग्री का क्रय GeM पोर्टल / स्थानीय बाजार के माध्यम से किया जा सकेगा।

क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा इस पद्धति का उपयोग समस्त बजट शीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच बार किया जा सकेगा।

9. विभागीय क्रय समिति द्वारा क्रय :-

प्रत्येक शासकीय कार्यालय के लिए कार्यालय प्रमुख के द्वारा कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों की विभागीय क्रय समिति गठित की जाएगी। अर्धशासकीय संस्थाओं में विभागीय क्रय समिति का गठन संस्था के वरिष्ठतम अधिकारी (यथा प्रबंध संचालक, आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी) के द्वारा किया जाएगा। विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक



अवसर पर रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) से अधिक और रूपये 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) तक के मूल्य की अनारक्षित सामग्री का क्रय किया जा सकेगा ।

विभागीय क्रय समिति में उचित स्तर के न्यूनतम तीन सदस्य होंगे जिनमें से यथासंभव एक सदस्य वित्तीय मामलों का जानकार होगा । यह समिति जेम पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न विक्रेताओं में से न्यूनतम तीन निर्माताओं के उत्पादों की उपयुक्तता, गुणवत्ता, विनिर्देशन (स्पेसिफिकेशन) और प्रदाय अवधि आदि का तुलनात्मक अध्ययन कर न्यूनतम दर के निर्माता से उत्पाद क्रय करने की अनुशंसा निम्नानुसार प्रमाण-पत्र पर करेंगे :-

"प्रमाणित किया जाता है कि हम क्रय समिति के सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत तौर पर इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस सामग्री के क्रय की अनुशंसा की गई है, वह आपेक्षित विनिर्देशनों (स्पेसिफिकेशन) और गुणवत्ता के अनुरूप है ।"

इस पद्धति का उपयोग वर्ष में पांच बार (समस्त बजट शीर्ष में) से अधिक अवसरों पर नहीं किया जा सकेगा ।

10. निविदाओं के संबंध में :

(10.1) खुली निविदा :-

- (10.1.1) क्रय की जाने वाली सामग्री तथा सेवाओं का अनुमानित मूल्य रूपये 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) से अधिक होने अथवा नियम 9 में निर्धारित पद्धति से क्रय करना संभव अथवा वांछनीय न होने की दशा में खुली निविदा के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की जायेगी । खुली निविदा हेतु <https://mptenders.gov.in> की ई-टेंडरिंग प्रणाली अथवा जेम (GeM) से भी निविदा आमंत्रित की जा सकेगी । निर्माण कार्य (Tender of Works) से संबंधित निविदाएं MP Tenders Portal पर यथावत् आमंत्रित की जा सकेंगी ।



- (10.1.2) ई-पोर्टल के अतिरिक्त व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा तथा निविदा का विस्तृत विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।
- (10.1.3) सामान्यतः निविदा सूचना के प्रकाशन दिनांक से अथवा निविदा दस्तावेज के पोर्टल पर अपलोड होने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, न्यूनतम 21 दिवस का समय निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु दिया जाना होगा। विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए अल्पकालिक निविदा भी आमंत्रित की जा सकेगी जिसमें निविदा प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 14 दिवस होगी । इससे कम समय की अल्पकालिक निविदाएं (Short Tender) निम्नलिखित दशा में आमंत्रित की जा सकेंगी :-
- (i) जन हानि की आशंका होने पर ।
 - (ii) परिसंपत्ति के नुकसान होने या समय पर कार्य न होने पर राज्य / क्रेता पर वित्तीय भार बढ़ने की आशंका होने पर
 - (iii) निविदा प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 दिवस अथवा 07 दिवस हो सकेगी । इस प्रकार 07 दिवस की निविदा हेतु निविदा स्वीकृतकर्ता अधिकारी से एक श्रेणी उच्चतर स्तर के अधिकारी (Next Higher Authority) से अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा तथा 03 दिवस की निविदा हेतु प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा ।
- (10.1.4) जेम (GeM) पोर्टल / ई-टेंडर पोर्टल पर उपलब्ध रिवर्स ऑक्शन (Reverse Auction) प्रोसेस का उपयोग भी किया जा सकेगा ।
- (10.1.5) क्रयकर्ता विभाग चाहे तो जेम (GeM)/ www.mptenders.gov.in पर खुली निविदा आमंत्रित करने के लिए म.प्र. लघु उद्योग निगम की सेवाएं ले सकते हैं, जिसके लिए निगम को निविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत सेवा शुल्क देय होगा ।



(10.2) एकल स्रोत से क्रय हेतु निविदा :

निम्नलिखित परिस्थितियों में एकल स्रोत से क्रय / उपार्जन का सहारा लिया जा सकेगा :

(10.2.1) यह प्रयोक्ता विभाग / संस्था की जानकारी में है कि केवल एक फर्म विशेष ही अपेक्षित माल की विनिर्माता है ।

(10.2.2) आपात स्थिति में किसी अपेक्षित माल को विशेष स्रोत से खरीदना आवश्यक है और ऐसे निर्णय का कारण रिकार्ड किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के क्रय हेतु क्रयकर्ता अधिकारी से एक श्रेणी उच्चतर स्तर के अधिकारी (Next Higher Authority) का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(10.2.3) एकल स्रोत से क्रय हेतु निविदा (Single Source Tender) के माध्यम से समस्त क्रय सिर्फ GeM पोर्टल के माध्यम से किया जाए। GeM पोर्टल पर वेंडर उपलब्ध न होने की दशा में म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 (यथा संशोधित 2022) के प्रावधान के अन्तर्गत निविदा बुलाई जाए । अन्य माध्यम से क्रय संबंधी युक्तियुक्त निर्णय विभाग प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा ।

(10.2.4) एकल स्रोत से क्रय / उपार्जन करने से पहले मंत्रालय / विभाग / संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित फार्म में औचित्य वस्तु प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा :-

(अ) मेसर्स द्वारा इच्छित माल का निर्माण किया गया है ।

(ब) निम्नलिखित कारणों से कोई अन्य Make या Model स्वीकार नहीं है ।



.....
.....
.....
(स) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ।

(क्रय / उपार्जन अधिकारी के पदनाम के साथ हस्ताक्षर)

(10.3) ग्लोबल टेण्डर इन्क्वायरी (GTE) :

ग्लोबल टेण्डर इन्क्वायरी के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

11. नियम 7, 8, 9 एवं 10 में परिवर्तन नियम 31 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा ।

12. निविदा दस्तावेजों की विषयवस्तु :

निविदा दस्तावेजों में निम्नानुसार सभी शर्तों और निबंधनों (Terms and conditions) और सूचनाओं का समावेश होगा :-

अध्याय-1: निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश

अध्याय-2: संविदा की शर्तें

अध्याय-3: अपेक्षाओं की अनुसूची

अध्याय-4: विनिर्देशन और अन्य संबंध तकनीकी व्यौरें

अध्याय-5: कीमत अनुसूची (निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी कीमतें दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है)

अध्याय-6: संविदा फार्म

अध्याय-7: क्रयकर्ता / उपार्जनकर्ता और निविदाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य मानक फार्म, यदि कोई हो,

13. रख रखाव अनुबंध (Maintenance Contract) :



क्रय / उपार्जन की जाने वाली सामग्री की लागत और स्वरूप के आधार पर आवश्यकतानुसार सामग्री के आपूर्तिकर्ता के साथ या किसी अन्य सक्षम फर्म के साथ उचित अवधि के लिए रख रखाव संविदा की जा सकेगी। यह आवश्यक नहीं होगा कि यह सामग्री के आपूर्तिकर्ता के साथ ही किया जाए।

14. निविदा की प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) :

- (14.1) साधारणतया, निविदा की प्रतिभूति, क्रय / उपार्जन की जाने वाली सामग्री के अनुमानित मूल्य के न्यूनतम 0.5% एवं अधिकतम 3% होगी। निविदा की प्रतिभूति (EMD) की राशि क्रय / उपार्जन की जाने वाली सामग्री के अनुमानित मूल्य के अनुसार निम्नानुसार निर्धारित की जा सकेगी :-

रु. 10 करोड़ तक 3%

रु. 10 करोड़ से रु. 50 करोड़ तक (बढ़ी हुई राशि का 1%)

रु. 50 करोड़ से अधिक पर (बढ़ी हुई राशि का 0.5%)

परंतु मध्यप्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा स्टार्टअप को निविदा की प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) के भुगतान से छूट रहेगी।

निविदा की प्रतिभूति की सही-सही राशि विभाग / उपार्जनकर्ता संस्था द्वारा निर्धारित की जाकर इसे निविदा दस्तावेज में दर्शाया जाएगा। निविदा की प्रतिभूति राशि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अथवा किसी भी वाणिज्यिक बैंक से विभाग / उपार्जनकर्ता संस्था के खाते में डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद, बैंकर्स चेक अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करने की स्वतंत्रता होगी। निविदा की प्रतिभूति, निविदा की अंतिम वैधता तिथि के बाद पैंतालीस दिन की अवधि के लिए वैध होना आवश्यक होगा।

- (14.2) असफल निविदाकर्ताओं की निविदा की प्रतिभूतियों को निविदा की अंतिम वैधता तिथि की समाप्ति के बाद अधिकतम 30 दिन के अंदर लौटाई जाएगी।



(14.3) GeM पोर्टल पर निविदा द्वारा क्रय की दशा में निविदा की प्रतिभूति (Earnest Money) जेम के प्रचलित प्रावधान अनुसार स्वीकार की जाएगी ।

15. निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) :

- (क) संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदाकर्ता से आवश्यकतानुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जा सकेगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि सामान्यतः संविदा के मूल्य का 03 प्रतिशत होगी । निष्पादन प्रतिभूति की राशि नगद या किसी भी वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद, बैंकर्स चैक एवं irrevocable बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकेगी। प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा।
- (ख) निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक होगा ।
- (ग) निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता को निविदा प्रतिभूति लौटाई / समायोजित की जाएगी ।
- (घ) GeM पोर्टल पर निविदा द्वारा क्रय की दशा में निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जेम के प्रचलित प्रावधान अनुसार स्वीकार की जाएगी ।

16. प्रदायकर्ता को प्रदाय आदेश :

सफल निविदाकर्ता को प्रदाय की अवधि निर्धारित करते हुए क्रयकर्ता / उपार्जनकर्ता संस्था द्वारा प्रदाय आदेश जारी किया जाएगा । प्रदायकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित समयावधि में अपेक्षित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय, प्रदाय आदेश में अंकित स्थान पर सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में प्रदाय नहीं किए जाने की दशा में निविदा की शर्तों के अनुसार प्रदायकर्ता पर शास्ति आरोपित की जा सकेगी ।



17. उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से प्राप्त सामग्री का गुणवत्ता निरीक्षण

17.1 उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा उनके माध्यम से उपार्जित की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समस्त सामग्रियों का प्रदाय पूर्व निरीक्षण किया जा सकेगा।

17.2 उपार्जनकर्ता अभिकरण निरीक्षण हेतु निरीक्षण एजेंसी को नियुक्त कर सकेगा जो सामग्री प्रदाय से पूर्व निर्माण स्थल पर उसका निरीक्षण करेंगे। निर्माण स्थल पर निरीक्षण करने के उपरांत निरीक्षणकर्ता एजेंसी द्वारा निरीक्षित सामग्री पर क्वालिटी कंट्रोल संबंधी सील/स्टीकर लगाया जाएगा। प्रदाय उपरांत अभिकरण द्वारा स्थल पर भी रैण्डम निरीक्षण किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो कि सामग्री विनिर्देशन के अनुरूप प्रदाय हुई है।

17.3 भुगतान के पूर्व यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाएगा कि सामग्री का निरीक्षण हुआ है एवं वह विनिर्देशनों के अनुरूप है।

17.4 प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में क्रयकर्ता सामग्री प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर उपार्जनकर्ता अभिकरण को ई-मेल/ई-पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।

18. भुगतान :

18.1 आंशिक भुगतान :-

आपूर्तिकर्ता को उसके द्वारा प्रदायित सामग्री का आनुपातिक भुगतान आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

19. विलंबित भुगतान :

विलंबित भुगतान की स्थिति में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में उल्लेखित प्रक्रिया एवं दरों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी / काउन्सिल द्वारा शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

20. क्रय/उपार्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा, औचित्य एवं मितव्ययिता :



शासकीय क्रय / उपार्जन में पारदर्शिता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और औचित्य सुनिश्चित करने हेतु निम्न सावधानियां अपेक्षित हैं :-

- (1) निविदा दस्तावेज स्वतः स्पष्ट और विस्तृत होना चाहिए और इसमें कुछ भी अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभावी निविदा प्रस्तुत करने के लिए जो सूचनाएं किसी निविदाकर्ता के लिए आवश्यक होती हैं वह सभी आवश्यक सूचनाएं साधारण भाषा में निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। निविदा दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का भी समावेश होना चाहिए :
 - (क) निविदाकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और अर्हता मापदण्ड,
 - (ख) सामग्री के लिए पात्रता मापदण्ड जिसमें सामग्री आदि की उत्पत्ति के बारे में किसी कानूनी प्रतिबंध या शर्त का उल्लेख किया गया हो जिसे सफल आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है,
 - (ग) निविदाएं भेजने की प्रक्रिया के साथ-साथ तारीख, समय और स्थान,
 - (घ) निविदा खोलने की तारीख, समय और स्थान,
 - (ङ) प्रदायगी की शर्तें,
 - (च) निविदा दस्तावेज में परिणामी संविदा से उत्पन्न विवादों, यदि कोई हो, का निराकरण करने के लिए उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए। निष्पादन को प्रभावित करने वाली विशेष शर्तें, यदि कोई हों।
- (2) निविदा दस्तावेज में ऐसा प्रावधान रखा जाना चाहिए, जिससे निविदाकर्ता, निविदा की शर्तों, निविदा की प्रक्रिया और/या उसकी निविदा अस्वीकार कर दिए जाने पर प्रश्न कर सके।
- (3) निविदा दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि परिणामी संविदा की व्याख्या, भारतीय कानूनों के तहत की जाएगी।
- (4) निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।
- (5) निविदा खोलने के अवसर पर निविदाकर्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।



- (6) अपेक्षित सामग्री के विनिर्देशनों (specification) को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि संभावित निविदाकर्ता सार्थक निविदाएं प्रस्तुत कर सकें। पर्याप्त संख्या में निविदाकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से विनिर्देशन यथा संभव, विस्तृत एवं व्यापक (generic) होने चाहिए।
- (7) जहां निविदा आमंत्रण प्राधिकारी आवश्यक समझे तो निविदा-पूर्व सम्मेलन के लिए निविदा दस्तावेज में समुचित प्रावधान किया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेज में निविदा-पूर्व सम्मेलन की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह तारीख, निविदा खुलने की तारीख से पर्याप्त पूर्व की होनी चाहिए।
- (8) निविदा दस्तावेजों में निविदाओं के मूल्यांकन हेतु मापदण्डों (criteria), जिनके आधार पर प्राप्त निविदाओं को समान स्तर पर मूल्यांकित किया जाकर न्यूनतम प्रदायकर्ता का निर्धारण किया जाएगा, का उल्लेख होना आवश्यक है।
- (9) प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन, निविदा दस्तावेजों में पूर्व से उल्लेखित शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया जाएगा, निविदाओं का मूल्यांकन करने के लिए ऐसी किसी नई शर्त को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसका पहले उल्लेख नहीं किया गया हो।
- (10) निविदाएं प्राप्त होने की निश्चित समय-सीमा समाप्त होने के बाद निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाओं में परिवर्तन करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (11) विज्ञापित निविदा के मामले में देर से प्राप्त हुई निविदाओं (अर्थात् निविदाएं प्राप्त करने की विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त हुई निविदाएं) पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (12) निविदा खुलने के बाद निविदाकर्ताओं के साथ संधि-वार्ता (negotiation) वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप की जाना चाहिए।
- (13) दर संविदा प्रणाली में, जहां एक ही सामग्री के लिए कई फर्मों को दर संविदा में लाया जाता है, वहां निविदाकर्ताओं के साथ वार्ता करने तथा दरों के प्रति-प्रस्ताव (Counter offer) की अनुमति रहेगी। दर संविदा की अवधि 03 माह रहेगी।



दर अनुबंध के अन्तर्गत कुल प्रदाय मूल मात्रा के किसी अधिकतम प्रतिशत (50 प्रतिशत तक) निर्धारित किया जाए। इस दौरान आवश्यक होने पर अतिरिक्त क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जावे।

(अ) शासकीय क्रय में दर अनुबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकेगा :-

- (i) जिनके एक से अधिक क्रेता (Multiple Buyers) हैं तथा जिनकी बार-बार क्रय की आवश्यकता होती है।
- (ii) रखरखाव (Maintenance) संबंधी कार्य।
- (iii) ऐसे उत्पाद जिनकी अकस्मात आवश्यकता हो।

(ब) शासकीय क्रय में दर अनुबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं किया जा सकेगा :-

- (i) ऐसे उत्पाद जिसके क्रय हेतु अनुमानित मात्रा तथा उसकी आवश्यकता का समय ज्ञात हो।
- (ii) ऐसे उत्पाद जो उच्च तकनीक पर आधारित हैं तथा तकनीकी (Technology) परिवर्तनीय हो। उदाहरणतः Electronic Goods.
- (iii) ऐसे उत्पाद जिनकी मांग यदा-कदा होती है।

(14) क्वांटिटी टेंडर की स्थिति में न्यूनतम निविदाकर्ता को संविदा प्रदान की जाए, तथापि जहां तदर्थ आवश्यकता के लिए न्यूनतम स्वीकार्य निविदाकर्ता अपेक्षित पूरी मात्रा में आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है तो जहां तक संभव हो बाकी मात्रा की आपूर्ति करने का आदेश न्यूनतम निर्धारित दरों पर अगले उच्च उत्तरप्रद निविदाकर्ता को उक्त स्थिति में दिया जा सकेगा, जब उनके द्वारा प्रस्तुत दर एल-1+15 प्रतिशत की सीमा में हैं। उक्त संविदा एल-1 को शामिल करते हुए अधिकतम तीन बिडर को घटते हुए क्रम में ही प्रदान की जा सकेगी। कुल मांग के अनुमानित मूल्य के दृष्टिगत उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए सामग्री की मांग को विभाजित कर क्रय नहीं किया जाना चाहिए।



(15) जिस सफल निविदाकर्ता को संविदा प्रदान की जाती है उसके नाम का उल्लेख विभागों / उपार्जनकर्ता संस्था के नोटिस बोर्ड या बुलेटिन या वेबसाइट पर किया जाना चाहिए।

21. पुनः क्रय प्रस्ताव (Buy Back Offer) :

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया जा सकेगा कि विद्यमान सामग्री के स्थान पर नई और बेहतर सामग्री का क्रय किए जाने की दशा में विभाग नई सामग्री खरीदते समय विद्यमान पुरानी सामग्री का व्यापार (trade) कर सकेगा। इस प्रयोजनार्थ निविदा दस्तावेज में एक समुचित खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा ताकि संभावित और इच्छुक निविदाकर्ता तदनुसार अपनी दरें प्रस्तुत कर सकें। व्यापार की जाने वाली पुरानी सामग्री के मूल्य और उसकी स्थिति के आधार पर सफल निविदाकर्ता को पुरानी सामग्री सौंपे जाने के समय और तरीके का उल्लेख निविदा दस्तावेज में उचित ढंग से किया जाएगा। विभाग द्वारा नई सामग्री क्रय करते समय पुरानी सामग्री के व्यापार करने या न करने का निर्णय लिए जाने संबंधी प्रावधान भी निविदा दस्तावेज में किया जाएगा।

22. स्टार्टअप हेतु विशेष प्रावधान :

यदि विभाग प्रदेश के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उनसे सामग्री / सेवा उपार्जन करना चाहता है तो निम्न शर्तों का समावेश निविदा दस्तावेज में कर सकेगा :-

- (1) शासन के समस्त विभाग / संस्था 1 करोड़ रुपये तक की निविदा के लिए स्टार्टअप हेतु पृथक से पी.क्यू.आर. निर्धारित कर सकेंगे। विभाग यदि उचित समझे तो लिपिबद्ध कारण दर्शाते हुए 1 करोड़ रुपये से अधिक की निविदा के लिए भी स्टार्टअप को पी.क्यू.आर. में छूट दे सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों / संस्थाओं द्वारा 1 करोड़ रुपये तक की निविदा में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को आयु संबंधित समस्त अर्हताओं जैसे- अनुभव, टर्नओवर इत्यादि से छूट दी जा सकती है।



(2) सेवा क्षेत्र की 1 करोड़ से अधिक की निविदाओं में विभाग यदि उचित समझे तो पी.क्यू.आर. के स्थान पर प्रूफ ऑफ कॉनसेप्ट को अपना सकता है। प्रूफ ऑफ कॉनसेप्ट अथवा स्विस् चैलेंज के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव के अन्तर्गत कार्य का आवंटन निम्नानुसार गठित साधिकार समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा :-

- मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन- अध्यक्ष
- प्रमुख सचिव / सचिव, संबंधित विभाग- सदस्य सचिव
- प्रमुख सचिव / सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के नामांकित प्रतिनिधि
- सी.ई.ओ., अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि
- प्रमुख, मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर
- आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित

23. प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं स्टार्टअप्स को प्राथमिकता हेतु प्रावधान :-

23.1 क्रय प्राथमिकता :

नियम 31 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा जिन सामग्री या उत्पादों की सूची प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से क्रय हेतु अनुमोदित की जाएगी, उस सामग्री के क्रय पर यह प्रावधान लागू होंगे :-

- (1) यदि एल-1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं का नहीं है, तो प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनके द्वारा निविदा में एल-1+15 प्रतिशत की सीमा में दरें प्रस्तुत की गई हैं, को एल-1 दर पर उनकी क्षमता के दृष्टिगत अधिकतम 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत मात्रा तक की सामग्री क्रय की जाएगी ।
- (2) यदि प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं की स्थापित क्षमता आदेशित सामग्री के निर्धारित समयावधि में प्रदाय हेतु



- पर्याप्त नहीं है तो उक्त स्थिति में शेष मात्रा के एल-1 दर पर प्रदाय हेतु निविदा में सहभागी प्रदेश के अन्य दो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के घटते हुए क्रम में आवंटित की जावेगी।
- (3) प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ता द्वारा एल-1 दर पर सामग्री के प्रदाय हेतु असहमति व्यक्त करने की दशा में पूर्ण क्रय एल-1 दर प्रस्तुतकर्ता से किया जावेगा (नियम के संबंध में उदाहरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है) ।
- (4) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25% में से (25% में से 4%) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिन्हित होंगे, परंतु ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेण्डर की अपेक्षाओं को पूरा करने और L-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के लिए चिन्हित 4 प्रतिशत का अन्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।
- (5) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25% में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए उपार्जन (25% में से 3%) किया जावेगा। उक्त 03 प्रतिशत में महिलाओं के स्व-सहायता समूह के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को प्राथमिकता दी जावेगी (नियम के संबंध में उदाहरण प्रपत्र "ब" पर संलग्न है) ।

23.2 प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप को अन्य सुविधा :

ऐसे उत्पाद जिन्हें राज्य शासन के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना है, प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा स्टार्टअप जिनकी उत्पादन क्षमता इन उत्पादों के लिए शासन की मांग से दोगुना है, उन उत्पादों को शत-प्रतिशत क्रय हेतु आरक्षित किया जा सकेगा ।

24. स्थानीय प्रदायकर्ताओं को क्रय प्राथमिकता :



शासकीय क्रय में स्थानीय प्रदायकर्ताओं को क्रय में प्राथमिकता प्रदान करने बावत् नियम विभाग द्वारा नियम 31 के प्रावधान के अन्तर्गत गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप बनाये जा सकेंगे।

25. आरक्षित सामग्री के क्रय की प्रक्रिया :

25.1 परिशिष्ट 'अ'

प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्त्र / सामग्री, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित वस्त्र / सामग्री बोर्ड (KVIB) के विंध्या वैली ब्राण्ड की ऐसी सामग्री जो पंजीकृत संस्थाओं द्वारा उत्पादित की जा रही है तथा भारत शासन के खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के "खादी" ब्राण्ड के अन्तर्गत विक्रय होने वाले वस्त्र जो परिशिष्ट- "अ" में अंकित है तथा जो समय-समय पुनरीक्षण के अध्याधीन है, उन्हें बिना निविदाएं बुलाये संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल तथा मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से उनके द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किया जाएगा। समस्त शासकीय विभाग / उपक्रम उन्हें लगने वाले कपड़े की आपूर्ति के लिए हाथकरघा वस्त्रों के प्रदाय आदेश प्रबंध संचालक, संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, मुख्यालय, भोपाल तथा खादी वस्त्रों के प्रदाय आदेश प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को 85 प्रतिशत अग्रिम राशि के साथ देंगे। प्रदायकर्ता अभिकरण वस्त्रों की आवश्यकतानुसार सूत/कच्चा माल क्रय कर प्रदेश के बुनकरों से उत्पादन करायेंगे। यदि किन्हीं परिस्थिति में कोई भी विभाग/उपक्रम इस प्रक्रिया से छूट चाहता है तो उन्हें कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग से अभिमत लेकर मंत्रि-परिषद की स्वीकृति लेना होगी।

परिशिष्ट "अ" में सम्मिलित वस्तुओं के लिए क्रय की प्रक्रिया :-

- 25.1.1 बिना अग्रिम राशि के वस्त्र/सामग्री प्रदाय आदेश मान्य नहीं किया जाएगा। अग्रिम राशि RTGS/NEFT के माध्यम से प्रबंध संचालक, संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा



- विकास निगम या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के खाते में जमा कराई जाएगी।
- 25.1.2 प्रदायकर्ता तथा क्रयकर्ता विभाग/उपक्रम द्वारा प्रस्तुत की प्रदाय शेड्यूल के अनुसार आदेश की पूर्ति की जाएगी। यदि निर्धारित समयावधि या शेड्यूल अनुसार वस्त्रों का प्रदाय नहीं किया जाता है तो नियम-31 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा समयावृद्धि कराई जा सकेगी।
- 25.1.3 क्रय मूल्य निर्धारण एवं प्रदाय में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश वित्त विभाग की सहमति से कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे।
- 25.1.4 सहकारिता विभाग में पंजीकृत पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों द्वारा तैयार वस्त्र ही म.प्र. राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ बुरहानपुर से बिना निविदा बुलाये क्रय किये जा सकेंगे।
- 25.1.5 म.प्र. पावरलूम बुनकर सहकारी संघ द्वारा प्रदाय किये जाने वाले वस्त्रों के दर निर्धारण तथा प्रदाय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
26. (i) कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का क्रय जेल विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर बिना निविदा बुलाए किया जा सकेगा।
- (ii) शासकीय विभागों/उपक्रमों द्वारा स्वयं उत्पादित सामग्री सीधे उनके द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय की जा सकेगी। इन सामग्री की दरों का निर्धारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा :-
- प्रमुख सचिव / सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग-अध्यक्ष
 - प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के नामांकित प्रतिनिधि
 - प्रमुख सचिव / सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग, जनजातीय कार्य विभाग



27. निम्न परिस्थितियों में इन नियमों के पालन से छूट रहेगी :-

- (अ) प्राकृतिक आपदा, दंगे, अग्नि दुर्घटना ।
(ब) जहां पर सामग्रियां बाह्य पोषित परियोजनाओं (वर्ल्ड बैंक, ए.डी.बी. आदि) के अंतर्गत उनके शर्तों एवं नियमों अनुसार उपार्जित की जानी है, उनका क्रय, उनकी शर्तों एवं नियमों पर किया जाएगा। इस हेतु इन नियमों में छूट रहेगी। किसी परियोजना में वित्त पोषण संस्थाओं की इस संबंध में कोई शर्त एवं नियम नहीं होने की दशा में सामग्रियों का क्रय इन नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

28. लोकहित में प्रशासकीय विभाग नियम-6 में उल्लेखित संस्थाओं से अनापति प्राप्त करने के पश्चात् खुली निविदा के माध्यम से उपार्जन कर सकेगा ।

29. क्रयकर्ता द्वारा प्रदायकर्ता अभिकरणों को क्रयादेश ई-मेल अथवा पोर्टल के माध्यम से भेजा जावेगा ।

30. उपरोक्त नियमों के लागू होने के दिनांक से म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश, निर्देश / नियम निष्प्रभावी होंगे; तथापि पूर्व नियमों के अंतर्गत प्रारंभ की जा चुकी भण्डार क्रय/सेवा उपार्जन की अपूर्ण कार्यवाही पूर्व नियमों के अंतर्गत पूर्ण की जा सकेगी ।

31. इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उपस्थित होने पर इन नियमों के अधीन क्रियान्वयन संबंधी स्पष्टीकरण / निर्देश निम्नलिखित समिति के अनुमोदन उपरांत विभागों द्वारा जारी किये जाएंगे :-

- मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन- अध्यक्ष
- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग
- प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
- प्रमुख सचिव / सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग



परिशिष्ट- 'अ'

(नियम 6 देखें)

उपार्जनकर्ता अभिकरण-

- (1) संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम
- (2) म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
- (3) म.प्र. राज्य पावरलूम बूनकर सहकारी संघ मर्या., बुरहानपुर

क्र.	संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	म.प्र. राज्य पावरलूम बूनकर सहकारी संघ मर्या., बुरहानपुर
1.	गॉज एवं बैण्डेज	-	-
2.	चादर/बेड स्प्रेड	चादर/बेड स्प्रेड	-
3.	-	पर्दे एवं अपहोल्स्ट्री	-
4.	-	सूती, ऊनी दरियां	-
5.	-	सूती, ऊनी फर्श	-
6.	-	कम्बल	-
7.	-	ऊनी शॉल	-
8.	ब्लेजर कपड़ा (ऊनी)	ब्लेजर कपड़ा (ऊनी)	-
9.	मच्छरदानी/ मच्छरदानी का कपड़ा (सूती)	-	-
10.	डस्टर/बस्ता कलाथ	डस्टर/बस्ता कलाथ	-
11.	टेबल कलाथ	टेबल कलाथ	-
12.	टॉवेल/नेपकीन	टॉवेल/नेपकीन	-
13.	पुरुष कर्मचारी की वर्दी- पैंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा	पुरुष कर्मचारी की वर्दी- पैंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा	पुरुष कर्मचारी की वर्दी- पैंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा
14.	महिला कर्मचारियों की वर्दी- साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट	महिला वर्दी-साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट का	महिला वर्दी-साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट का

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code – 3203

AISHE Code – C-35178

Accredited by NAAC with B+ Grade

Email – hegpgcpipfos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112



	का कपड़ा	हाथकरघा कपड़ा	हाथकरघा कपड़ा
15.	समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित मिल निर्मित धागे से निर्मित वस्त्र	समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित हाथ कताई धागे से निर्मित वस्त्र	समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित हाथ कताई धागे से निर्मित वस्त्र
16.	फैंसी फाईल कव्हर्स/बैग (हाथ के छपे कपड़े से बने)	फैंसी फाईल कव्हर्स/बैग (हाथ के छपे कपड़े से बने)	-
17.	कार्यालय सजावट की वस्तुएं जैसे-आदिवासी लोक कला के चित्र, मूर्तियाँ आदि	कार्यालय सजावट की वस्तुएं जैसे-आदिवासी लोक कला के चित्र, मूर्तियाँ आदि	-
18.	-	चमड़ा (कच्चा-पक्का), चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट, जैकेट, बैग, ब्रीफकेस, पिस्तौल/रिवाल्वर का कवर	-
19.	-	अगरबत्ती, कपड़े धोने का साबून, शहद, तैयार मसाले, सरसों का तेल, अचार, पापड़	-
20	-	-	सिले सिलाये कोट



भाग -2 सेवाओं का उपार्जन

32. प्रस्तावना :-

विभाग, किसी विशिष्ट कार्य के लिए जिसकी विषय वस्तु तथा कार्य को पूर्ण करने की समय-सीमा परिभाषित हो, बाह्य पेशेवरों (External Professionals), परामर्शदाता फर्मों (Consultancy Firms) या परामर्शदाताओं (Consultant) (जिसे इसके बाद परामर्शदाता कहा जाएगा) की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त विभाग आवश्यकतानुसार कतिपय सेवाएं आउटसोर्स भी कर सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश, संबंधित विभागों द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकता के दृष्टिगत जारी किए जा सकेंगे।

33. परामर्शदाताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य/सेवाओं की पहचान :-

परामर्शदाताओं को उच्च गुणवत्ता की सेवाओं, जिसके लिए विभाग के पास अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है, के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

34. सेवा उपार्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी :

सेवा उपार्जन हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार राज्य शासन द्वारा किए गए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अथवा सामान्य या विशिष्ट आदेश से अधिकृत अधिकारी को रहेंगे। निगमों, मण्डलों तथा अन्य अर्धशासकीय संस्थाओं अंतर्गत ये अधिकार उनके नियमों/उप नियमों/वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन से शासित होंगे।

35. अपेक्षित सेवा का कार्य क्षेत्र (Scope of the Required Service) :-

विभागों द्वारा साधारण और स्पष्ट भाषा में सौंपे जाने वाले कार्य का उद्देश्य, आवश्यकता एवं कार्य क्षेत्र नियत किया जाना होगा। परामर्शदाताओं द्वारा पूर्ण की जाने वाली पात्रता एवं अर्हता मापदंड का इस चरण में स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा।



36. अनुमानित व्यय (Estimated Expenditure) :-

विभाग द्वारा परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के पूर्व इस पर होने वाले व्यय का आंकलन प्रचलित बाजार स्थिति एवं इसी प्रकार के कार्यों में लगे अन्य संगठनों से परामर्श के आधार पर किया जाएगा।

37. संभावित स्रोतों की पहचान (Identification of Likely Sources) :-

- (i) जहां कार्य या सेवा का अनुमानित मूल्य एक वर्ष में रुपये 5.00 लाख तक है, वहां इसी प्रकार के कार्यों में लगे दूसरे विभाग, वाणिज्य और उद्योग संघ, परामर्शदाताओं, फर्मों की एसोसिएशन आदि से औपचारिक या अनौपचारिक पूछताछ के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा संभावित परामर्शदाताओं की विस्तृत सूची तैयार की जा सकेगी।
- (ii) जहां कार्य या सेवा का अनुमानित मूल्य रुपये 5.00 लाख से अधिक है वहां उपरोक्त (i) के अतिरिक्त कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में अथवा जेम (GeM)/www.mptenders.gov.in पर परामर्शदाताओं की रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन दिया जाएगा। विज्ञापन का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करते समय सेवा के क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण, परामर्शदाता द्वारा पूरी की जाने वाली अर्हता तथा परामर्शदाता का विगत अनुभव आदि का उल्लेख आवश्यक होगा। परामर्शदाताओं से अनुमानित कार्य या सेवा के उद्देश्यों और क्षेत्र पर टिप्पणियां भी आमंत्रित की जा सकेंगी। इच्छुक परामर्शदाताओं से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 21 दिवस का समय दिया जाएगा।

38. परामर्शदाताओं की छंटनी (Shortlisting of Consultants) :-

इच्छुक परामर्शदाताओं से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करने वाले परामर्शदाताओं पर आगे विचार करने के लिए उनका चयन



किया जाएगा। इस प्रकार चयनित परामर्शदाताओं की संख्या तीन से कम नहीं होगी।

39. विषयवस्तु (Terms of Reference) :-

विषयवस्तु में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- (i) उद्देश्यों का विवरण (Precise Statement of Objectives);
 - (ii) किए जाने वाले कार्य की रूप रेखा (Outline of the Tasks to be Carried out);
 - (iii) कार्य पूरा करने की समय सारिणी (Schedule for Completion of Tasks);
 - (iv) परामर्शदाता को विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता एवं जानकारी (The Support or Inputs to be Provided by the Department to Facilitate the Consultancy);
 - (v) परामर्शदाता से अपेक्षित अंतिम परिणाम (The Final Outputs That will be Required of the consultant);
40. प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) तैयार करना और जारी करना (Preparation and Issue of request for Proposal) :-

आर.एफ.पी. दस्तावेज का प्रयोग विभाग द्वारा अपेक्षित कार्य/सेवा के लिए परामर्शदाताओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। चयनित किये गए परामर्शदाताओं से दू बिड प्रणाली में तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव मंगाने के लिए अनुरोध पत्र जारी किया जाएगा। आर.एफ.पी. में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

- (i) परामर्शदाताओं को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया संबंधी सूचना
- (ii) विचारार्थ विषय (टी ओ आर)
- (iii) पात्रता एवं पूर्व अर्हता मापदंड, (रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से पात्रता और अर्हता मापदंड सुनिश्चित न करने की दशा में)



- (iv) परामर्शदाता दल के प्रमुख व्यक्तियों (Personnel) की सूची, जिनकी अकादमिक तथा व्यावसायिक योग्यता और अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा,
- (v) निविदा मूल्यांकन मानदंड और चयन प्रक्रिया
- (vi) तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव के लिए मानक फार्मेट
- (vii) प्रस्तावित संविदा की शर्तें
- (viii) कार्य की प्रगति की मध्यावधि समीक्षा, और
- (ix) अंतिम प्रारूप रिपोर्ट की समीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रक्रिया।

41. विलंबित निविदा :-

विलंबित निविदा अर्थात् विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त हुई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

42. तकनीकी निविदा का मूल्यांकन :-

तकनीकी निविदा का विश्लेषण और मूल्यांकन संबंधित विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति विश्लेषण और मूल्यांकन किए गए तकनीकी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को विस्तार में लिपिबद्ध करेगी।

43. तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन :-

विभाग द्वारा मात्र उन निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा, जिन्हें मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से पात्र घोषित किया गया हो। इस तरह खोले गये वित्तीय प्रस्ताव का आर.एफ.पी. की शर्तों अनुसार मूल्यांकन और विश्लेषण कर संबंधित विभाग द्वारा सफल निविदाकर्ता का चयन किया जाएगा।

43.1 QCBS (Quality and Cost Based Selection) पद्धति से निविदा विभाग चाहे तो QCBS प्रक्रिया से निविदा जारी कर सकेगा, परन्तु इसके लिए प्रशासकीय विभाग की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी।



- 43.2 विभाग चाहे तो बिना EOI जारी किये सीधे RFP जारी कर सकेगा ।
- 43.3 सेवाओं के उपाजन संबंधी निविदा में किसी निविदाकर्ता द्वारा कोई सेवा शुल्क नहीं दर्शाया गया है अथवा शून्य सेवा शुल्क दर्शाया गया तो उस निविदाकर्ता की निविदा को अमान्य किया जाकर उस पर विचार नहीं किया जाए ।
44. परामर्शदाता का मनोनयन (Consultancy by Nomination) :
- लोकहित में विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत शासन के शत-प्रतिशत स्वामित्व के शासकीय निगम / उपक्रम / मण्डल को परामर्शदाता के रूप में चयन किया जा सकेगा ।
45. संविदा की निगरानी (Monitoring the Contract) :-
- विभाग द्वारा परामर्शदाता के कार्य निष्पादन का सतत पर्यवेक्षण किया जाएगा ताकि परिणाम, उद्देश्यों के अनुरूप हो।
46. सेवाओं की आउटसोर्सिंग (Outsourcing of Services) :-
- विभाग मितव्ययिता और कार्यकुशलता की दृष्टि से आवश्यकतानुसार सेवाओं की आउटसोर्सिंग कर सकेगा।
47. संभावित सेवा प्रदाता की पहचान (Identification of Likely Service Provider) :-
- विभाग द्वारा इसी प्रकार के कार्यों में संलग्न अन्य विभागों और संगठनों से औपचारिक या अनौपचारिक पूछताछ, व्यापारिक पत्र-पत्रिकाओं, वेबसाइट आदि के माध्यम से संभावित (Potential) सेवा प्रदाता की सूची तैयार की जाएगी।
48. निविदा की तैयारी (Preparation of Tender Enquiry)

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code – 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code – C-35178

Email – hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112



विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग कार्य हेतु निविदा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का भी उल्लेख होगा :

- (i) संविदाकर्ता से कराए जाने वाले कार्य या सेवा का ब्यौरा,
- (ii) विभाग द्वारा संविदाकर्ता को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और जानकारीयां,
- (iii) अपेक्षित कार्य/सेवा करने के लिए संविदाकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और अर्हता मानदंड, और
- (iv) संविदाकर्ता द्वारा पालन की जाने वाली साविधिक (statutory) और संविदागत बाध्यताएं (contractual obligations)

49. निविदाएं आमंत्रित करना (Invitation of Bids) :-

- (क) रुपये 5.00 लाख या कम के अनुमानित मूल्य के कार्य या सेवा के लिए, विभाग द्वारा नियम-52 के अंतर्गत संभावित संविदाकर्ताओं की प्राथमिक सूची की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया पात्र और सक्षम संविदाकर्ताओं का चयन किया जाकर नियम 10 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। निविदा के लिए इस प्रकार पहचान किए गए संविदाकर्ताओं की संख्या तीन से कम नहीं होनी चाहिए।
- (ख) रुपये 5.00 लाख से अधिक के अनुमानित मूल्य के कार्य या सेवा के लिए विभाग द्वारा खुली निविदा GeM अथवा www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाएगी। इस हेतु व्यापक रूप से परिचालित एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन दिया जाएगा। निविदा का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 21 दिवस का समय दिया जाएगा। प्रस्ताव दू बिड प्रणाली से मंगाए जायेंगे।

50. विलंबित निविदाएं (Late Bids) :-



विलंबित निविदा अर्थात् विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

51. तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन (Evaluation of Technical Bid):-

तकनीकी निविदा का विश्लेषण और मूल्यांकन संबंधित विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति विश्लेषण और मूल्यांकन किए गए तकनीकी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को विस्तार में लिपिबद्ध करेगी।

52. वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन (Evaluation of Financial Bid):-

विभाग द्वारा मात्र उन निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा, जिन्हें विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से पात्र घोषित किया गया हो। इस तरह खोले गये वित्तीय प्रस्ताव का निविदा की शर्तों अनुसार मूल्यांकन और विश्लेषण कर संबंधित विभाग द्वारा सफल निविदाकर्ता का चयन किया जाएगा।

53. संधिदा का पर्यवेक्षण (Monitoring the contract) :-

विभाग द्वारा परामर्शदाता के कार्य निष्पादन का सतत पर्यवेक्षण किया जाएगा ताकि परिणाम, उद्देश्यों के अनुरूप हो।

54. आपूर्तिकर्ताओं को काली सूची में रखने के निर्देश :

(1) किसी फर्म का नाम काली सूची में दर्ज करने का अर्थ होता है कि राज्य शासन के सभी विभाग उस फर्म से लेन-देन न करें, जिन कारणों से किसी फर्म का नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकता है वे हैं :-

(1.1) प्रदायकर्ता संगठनों / संस्थानों इत्यादि को क्रेता विभाग द्वारा टेंडर शर्तों के विपरीत कार्य हेतु;

(1.2) यदि सुरक्षात्मक उपायों की दृष्टि से जिसमें राज्य के प्रति निष्ठा बनाये रखने का प्रश्न भी शामिल है, ऐसा करना आवश्यक हो;



- (1.3) यदि इस बात पर विश्वास करने के ठोस कारण हो कि फर्म का मालिक या कर्मचारी या प्रतिनिधि घूसखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, निविदा बदलना, प्रक्षेप आदि जैसे- दुराचारों का अपराधी रहा हो;
- (1.4) यदि फर्म दुराग्रहपूर्वक पर्याप्त कारण बताये बिना शासन की बकाया रकम देने से इन्कार करे और शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि इस इन्कार का कारण कोई ऐसा उचित विवाद नहीं है, जिसमें पंच निर्णय या न्यायालय संबंधी कार्यवाही करने की आवश्यकता है;
- (2) उपरोक्त उल्लेखित आधार पर काली सूची में नाम दर्ज करने संबंधी आदेश विभागाध्यक्ष द्वारा दिये जायेंगे। ये आदेश सक्षम अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किये जा सकेंगे। इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रशासकीय विभाग को की जा सकेगी।
- (3) काली सूची फर्म की सूचना सार्वजनिक करने हेतु पोर्टल रहेगा। क्रयकर्ताओं द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में निविदाकर्ता से किसी विभाग / संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट न किये जाने संबंधी घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाए।
- (4) सामान्यतः ऐसे आदेश जारी करने का अर्थ होगा कि राज्य शासन के सभी विभागों द्वारा फर्म से किये जाने वाले आगामी तीन वर्ष तक के समस्त लेन-देन प्रतिबंधित हो जाएंगे। अन्य विभागों को ऐसे आदेश की सूचना देते समय काली सूची में नाम दर्ज करने संबंधी आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी निम्नलिखित बातों का उल्लेख करेगा :-
- (4.1) वे कारण जिनके आधार पर काली सूची में नाम दर्ज किया गया है;
- (4.2) ब्लैक लिस्टिंग इस आशय के आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष तक प्रभावी होगी;
- (4.3) संबंधित कंपनी के समस्त निदेशक, संबंधित एल.एल.पी. (Limited Liability Partnership) के समस्त भागीदार, पार्टनरशिप फर्म की दशा में समस्त भागीदार, प्रोपराईटरशिप कंपनी की दशा में प्रोपराईटर के नाम अंकित किये जाएंगे;

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code – 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code – C-35178

Email – hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112



- (5) नियम 54(4) के प्रावधान उन सभी कंपनियों / एल.एल.पी. (Limited Liability Partnership) / पार्टनरशिप फर्म पर भी लागू होंगे, जिनमें नियम 54(4)(तीन) में वर्णित कोई एक व्यक्ति भी निदेशक / भागीदार / प्रोपराईटर है। उदाहरणार्थ-
- (5.1) आपूर्तिकर्ता "A" एक भागीदारी संस्था है, जिसमें K,L,M भागीदार हैं तथा आपूर्तिकर्ता "A" को मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग या संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है।
- (5.2) कंपनी / फर्म "B" एक संस्था है, जिसमें "K" एक भागीदार है।
- (5.3) उक्त परिस्थिति में फर्म "B" पर भी काली सूची के 54(4) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे।
- (6) नियम 54(1) में वर्णित आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगे। यदि ब्लैक लिस्टेड फर्म के भागीदार, निदेशक, प्रोपराईटर को यदि ब्लैक लिस्टिंग के पूर्व कार्यादेश / प्रदाय आदेश जारी किया गया है तो वह ब्लैक लिस्टिंग से प्रभावित नहीं होगा।
55. देश की सीमा से लगे देशों के सेवा / माल एवं अन्य कार्य प्रदायकर्ताओं अथवा लाभकारी स्वामित्व वाले प्रदायकर्ताओं द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र के तारतम्य में शासकीय क्रय :-
- इस नियम का पालन विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अपने स्तर पर किया जा सकेगा।
56. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर क्रय तथा सेवाओं के उपार्जन के संबंध में जारी नियमों / निर्देशों का पालन विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अपने स्तर पर किया जा सकेगा।

हस्ता./-

सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, भोपाल

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya
Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code – 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code – C-35178

Email – hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112



प्रपत्र "अ"

प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं स्टार्टअप्स को क्रय में प्राथमिकता प्रदान करने संबंधी नियम 23.1(1), (2) एवं (3) के संबंध में उदाहरण-

उदाहरण स्वरूप क्रयकर्ता विभाग द्वारा 100 नग कुर्सी के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इस निविदा के अन्तर्गत 25 नग कुर्सी का क्रय प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से किया जाना है। इस निविदा में 05 निविदाकर्ताओं द्वारा भाग लिया जाकर दरें प्रस्तुत की गईं। निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं का प्रकार (Status) एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दरों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	निविदाकर्ता	निविदाकर्ता का प्रकार	प्रस्तुत दर	दरों की स्थिति
1.	A	अधिकृत विक्रेता	110.00	L-2
2.	B	प्रदेश का सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	112.00	L-3
3.	C	प्रदेश का सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	120.00	L-5
4.	D	अन्य उद्यम/निविदाकर्ता	100.00	L-1
5.	E	प्रदेश का सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	115.00	L-4

- निविदा में न्यूनतम दर (एल-1) रुपये 100.00 प्राप्त हुई है।
- निविदाकर्ता B, C एवं E प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हैं, जिनके द्वारा निविदा में भाग लिया गया है।
- निविदाकर्ता B एवं E द्वारा प्रस्तुत दरें एल-1+15 प्रतिशत की सीमा में हैं, अतः वह सामग्री के प्रदाय हेतु पात्र हैं।
- निविदाकर्ता C प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हैं, परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत दरें एल-1+15 प्रतिशत की सीमा से अधिक हैं, अतः वह सामग्री प्रदाय हेतु पात्र नहीं हैं।



- (v) निविदाकर्ता B द्वारा प्रस्तुत दर की स्थिति एल-3 है एवं निविदाकर्ता E द्वारा प्रस्तुत दर की स्थिति एल-4 है । इस स्थिति में सर्वप्रथम एल-3 निविदाकर्ता को एल-1 दर पर प्रदाय हेतु सहमति प्राप्त करनी होगी । उनके द्वारा सहमति प्रदान करने की दशा में उनसे प्रदाय करवाया जाना होगा ।
- (vi) निविदाकर्ता B द्वारा असहमति व्यक्त करने की दशा में निविदाकर्ता E जिनके द्वारा प्रस्तुत दरों की स्थिति एल-4 है, से एल-1 दर पर 25 प्रतिशत मात्रा के प्रदाय हेतु सहमति प्राप्त की जाना होगी ।
- (vii) प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रदाय हेतु असहमति व्यक्त करने अथवा निर्धारित समय-सीमा में आदेशित मात्रा का प्रदाय हेतु क्षमता उपलब्ध न होने की दशा में प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षित मात्रा का क्रय एल-1 निविदाकर्ता से किया जाएगा, चाहे वह किसी भी श्रेणी का उद्यम अथवा प्रदेश के बाहर का निविदाकर्ता हो ।

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya
Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code - 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code - C-35178

Email - hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website - www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax - 07576-220112



प्रपत्र "ब"

प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं स्टार्टअप्स को क्रय में प्राथमिकता प्रदान करने संबंधी नियम 23.1(4) एवं (5) के संबंध में उदाहरण-

क्र.	विवरण	क्रय/खरीद राशि रूपये में
माना कि कुल क्रय की राशि रुपये 100 है।		
1	सूक्ष्म और लघु उद्यम से कुल क्रय	25
	(अ) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से क्रय	04
	(ब) महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से क्रय (महिलाओं के स्व-सहायता समूह के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्राथमिकता दी जावेगी)	03
	(स) अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यम से क्रय	18
	योग-	25
2	एल-1 से क्रय	75
	कुल क्रय-	100

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya Distt.- Narmadapuram (M.P.)



College Code - 3203

Accredited by NAAC with B+ Grade

AISHE Code - C-35178

Email - hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website - www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax - 07576-220112



प्रपत्र "स"

अनारक्षित सामग्री के उपार्जन हेतु विभिन्न विधियां

क्र.	विवरण	क्रय हेतु निर्धारित सीमा	कहां से क्रय
1.	बिना कोटेशन के क्रय * (Purchase without Quotation)	रुपये 50,000/- तक प्रत्येक अवसर	स्थानीय बाजार / GeM पोर्टल के माध्यम से क्रय
2.	विभागीय क्रय समिति द्वारा क्रय ** (Purchase by Departmental Purchase Committee)	रुपये 50,000/- से अधिक रु. 2.50 लाख तक	GeM पोर्टल से क्रय
3.	खुली निविदा द्वारा क्रय (Purchase by Open Tender)	रुपये 2.50 लाख से अधिक मूल्य	खुली निविदा द्वारा, खुली निविदा हेतु mptenders.gov.in की ई-टेंडरिंग प्रणाली अथवा GeM के साथ-साथ शासन की समय-समय पर अधिकृत अन्य पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित
4.	एकल स्रोत से क्रय (Purchase by Single Source)	-	GeM पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित
5.	सीमित निविदा (Limited Tender)	-	यह प्रावधान विलोपित

नोट :-

- * क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा इस पद्धति का उपयोग समस्त बजट शीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच बार किया जा सकेगा ।



- ** इस पद्धति का उपयोग वित्तीय वर्ष में पांच बार (समस्त बजट शीर्ष में) से अधिक अवसरों पर नहीं किया जा सकेगा ।

उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों में परिवर्तन नियम-31 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा ।

